

20.12.2024

वकील अपीलान्ट अदुपारथित। उतरदाता संख्या 11, 1/2, व 1/4/2, 1/5, व 2/1, 2/2 के वकील उपारथित। फ्रावली का अनलोकन करने पर पया की, इस्तगत प्रकरण उतरदाता संख्या 113 के वारिदात की तलनी में विगत 03 माह से अधिक समय व्यतित होने के उपरांत आदिनांक नही करवाई गई है, तथा दो पेशीयों पर वकील अपीलान्ट उपारथित नही हुल है। ओर भाण भी अदुपारथित है। इससे प्रतिन होता है की, वकील अपीलान्ट प्रकरण को लेकर गंभीर नही है, तथा पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उतरदाता की तामीली नही करवाई जा रही है। ऐसी स्वरत में प्रकरण आगे चल नही सकता है। वकील अपीलान्ट को न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में तीन बार आवाजे दिलवाई गई। बावजूद सूचना के उपारथित नही होने के कारण अपीलान्टस की अपील अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। फ्रावली फैसल सुमार हैकर दाखिल इफतर हो।

सखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा